

श्रीमलाल ब्यास रामचन्द्र वर्मा

ख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

दारा, मं. नं - 2017/106

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

यह निर्णय आज दिनांक 30.10.2017
को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Om
(बहुमलाल जाट)
उपस्थित अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

29-5-18

वकील वाकी के प्राप्ति
पत्र अन्वयित फारम 152, 151 CPC
में पेश करने पर पक्षावली फौजदारी
शुदा रिफार्ड से तख्त होकर
पेश हुई। वकील वाकी ने प्रक-
रक में शीर्षक में प्रविण्डी नपुंका
हाल पत्ता रोकसे के बजाय
ग्राम सरजोठ व प्रविण्डी सब्जं
4 का नाम शमोकेरी के बजाय
शमोकेरी व प्रविण्डी सब्जं
5/2 का नाम महेंद्र कुमार के
रक्षण पर महेंद्र सिंह एवं निरंज
के अग्रतोर में राजस्व ग्राम
सरजोठ के बजाय राजस्व ग्राम
परसरामपुरा परवार हज्जा सर-
जोठ दुर्गन्त (मुताबिक राजस्व
रिफार्ड अग्रुमार) किसे पत्रों के
निवेदन किया। प्रस्तुत प्राप्ति
पत्र पर वकील वाकी को सुना
गया। प्रस्तुत प्राप्ति पत्र अन्वयित
Om

शासनालय कागद सारणीकरण वर्ग

तारीख प्रकरण

प्रकरण या कार्यवाही का लघुसंज्ञात्मक नाम

दावा, मु. नं. - 106/2017

पत्रांक 152, 151 CPC, पत्रावली पर उप-
 संपन्न राजस्व रिकार्ड इत्यादि का
 अवलोकन किया गया। जिनके आधार
 पर वकील कादी द्वारा पत्रावली
 पर उल्लेखित पत्रांक 152, 151 CPC
 स्वीकार किया जाना है। वक्तव्य प्रकरण
 के संश्लेषित शीर्षक में प्रतिवादी
 नं० 1 का दाल पत्रावली के वक्तव्य प्रकरण
 - सरगोठ, प्रतिवादी संख्या 4 का
 नाम शमोकेरी के स्थान पर शमोकेरी
 व प्रतिवादी संख्या 5/2 का नाम
 महेंद्र कुमार के स्थान पर महेंद्र
 सिंह एवं निर्णय के अनुलोष में
 राजस्व ग्राम सरगोठ के स्थान
 पर राजस्व ग्राम- परसवामपुरा
 पटवार दलका - सरगोठ (मुलाविक
 राजस्व रिकार्ड अनुसंधान) निर्णय व
 डिक्री दिनांक 30-10-2017 में पढ़ा
 जाये। वक्तव्य राजस्व रिकार्ड में
 उल्लेख है। आदेशिका को
 निर्णय का एक प्रतिलिपि
 पत्रावली का एक प्रतिलिपि कार्यवाही
 दालिका दफ्तार है।

Gm-

उप सहायक अधिकारी
श्रीमन्मोपुर (सीकर)